रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012020-215804
CG-DL-E-30012020-215804

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2020/माघ 9, 1941
No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2020/MAGHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2020

आयकर

सा.का.नि. 56(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 13क, धारा 35कघ, धारा 40क, धारा 43, धारा 43गक, धारा 44कघ, धारा 50ग, धारा 56, धारा 80जजकक, धारा 269धध, धारा 269धन और धारा 269न के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है),-

(i) नियम 6कखख के बाद, निम्नलिखित नियम के अंत:स्थापित किया जाएगा और इसे 1 सितंबर, 2019 से अंत:स्थापित माना जाएगा:-

"अन्य इलैक्ट्रानिक रीति

6कखखक. धारा 13क के प्रथम परंतुक के खंड (घ), धारा कघ के उपखंड (8) के खंड (च), उपधारा (3क), धारा 40क की उपधारा (3क) और उपधारा (4) के परंतुक, धारा 43 के खंड (1) के दूसरे परंतुक, धारा 43गक की उपधारा (4), धारा 44कघ की उपधारा (1) का परंतुक, धारा 50ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (भ) के उपखंड (ख) के दूसरे परंतुक, धारा 80जजकक के स्पष्टीकरण के प्रथम परंतुक के खंड (i) के खंड (ख), धारा 269धध, धारा 269धन और धारा 269न के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित अन्य इलैक्ट्रानिक रीति होंगी, अर्थात् :-

(क) क्रेडिट कार्ड ;

(ख) डेबिट कार्ड ;

(ग) नेट बैंकिंग ;

(घ) आइएमपीएस (त्वरित भुगतान सेवा) ;

(ङ) यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ;

(च) आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट);

(छ) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक कोष अंतरण) ; और

(ज) बीएचआईएम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार भुगतान";

(ii) नियम 6घघ,-

(क) पार्श्व शीर्षक के लिए, निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वे मामले और परिस्थितियां जिनमें किसी व्यक्ति को एक दिन में दस हजार रुपए से अधिक की रकम में भुगतान या कुल भुगतान किसी बैंक के नाम लिखे गए पाने वाले के खाते में देय चैक से या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग से या नियम 6कखखक में यथा विहित ऐसे अन्य इलेक्ट्रोनिक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकेगा" ।;

(ख) आरंभिक पैरा में, "पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट, बीस हजार रुपए से अधिक", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली या नियम 6कखखक में यथा विहित ऐसे अन्य इलेक्ट्रोनिक रीति के माध्यम से, दस हजार रुपए से अधिक" को रखा जाएगा ;

(ग) खंड (ग) में उपखंड (v), (vi), और (vii) का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (ञ) का लोप किया जाएगा ।"

[अधिसूचना सं. 8/2020/फा.सं. 370142/14/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधायी प्रभाग)

स्पष्टीकारक ज्ञापन: यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के खंड 2 के उप-खंड (i) में यथा विहित संशोधन के संबंध में, इस अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 14(अ) तारीख 6 जनवरी, 2020 द्वारा किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2020

Income-tax

G.S.R. 56(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 13A, section 35AD, section 40A, section 43, section 43CA, section 44AD, section 50C, section 56, section 80JJAA, section 269SS, section 269ST and section 269T of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short Title and commencement**.— (1) These rules may be called the Income-tax (3rd Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereafter referred to as the principal rules),−

(i) after rule 6ABB, the following rule shall be inserted and shall be deemed to have been inserted from the 1st day of September, 2019, namely:-

*"**Other electronic modes***

***6ABBA**. The following shall be the other electronic modes for the purposes of clause (d) of first proviso to section 13A, clause (f) of sub-section (8) of section 35AD, sub-section (3), sub-section (3A), proviso to sub-section (3A) and sub-section (4) of section 40A, second proviso to clause (1) of Section 43, sub-section (4) of section 43CA, proviso to sub-section (1) of section 44AD, second proviso to sub-section (1) of section 50C, second proviso to sub-clause (b) of clause (x) of sub-section (2) of section 56, clause (b) of first proviso of clause (i) of Explanation to section 80JJAA, section 269SS, section 269ST and section 269T, namely:−*

(a) Credit Card;

(b) Debit Card;

(c) Net Banking;

(d) IMPS (Immediate Payment Service);

(e) UPI (Unified Payment Interface);

(f) RTGS (Real Time Gross Settlement);

(g) NEFT (National Electronic Funds Transfer), and

(h) BHIM (Bharat Interface for Money) Aadhar Pay";

(ii) in rule 6DD,−

(a) for the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:−

"Cases and circumstances in which a payment or aggregate of payments exceeding ten thousand rupees may be made to a person in a day, otherwise than by an account payee cheque drawn on a bank or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as prescribed in rule 6ABBA.";

(b) In the opening paragraph, for the words "account payee bank draft, exceeds twenty thousand rupees", the words, figures and letters "account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as prescribed under rule 6ABBA, exceeds ten thousand rupees" shall be substituted;

(c) in clause (c), sub-clauses (v), (vi) and (vii) shall be omitted;

(d) clause (j) shall be omitted.

[Notification No. 8/2020/F. No. 370142/14/2019-TPL]

SAURABH GUPTA, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Explanatory Memorandum :− It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification, in relation to amendment as provided in sub-clause (i) of clause 2 of this notification.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification number G.S.R 14(E), dated 6th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.30 20:27:34 +05'30'